

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मई 2020—वैशाख 16, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2020

क्र. 6072-75-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

(क्रमांक ५ सन् २०२०)

मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२०

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ मई, २०२० को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ तथा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ में और संशोधन करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० है.

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

(२) यह, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्र. २६ सन् १९६१
तथा अधिनियम
क्र. ३६ सन् १९८३
का अस्थाई रूप से
संशोधन किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्र. २६ सन् १९६१) तथा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) धारा ३ तथा ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

भाग—एक

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्र. २६ सन् १९६१
का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्र. २६ सन् १९६१) में धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में, शब्द “पचास से अधिक” के स्थान पर, शब्द “एक सौ से अधिक” स्थापित किए जाएं.

भाग—दो

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्र. ३६ सन् १९८३
का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्र. ३६ सन् १९८३) में, धारा २८ की उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(३) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थापन को या स्थापनों के किन्हीं वर्गों को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों से छूट, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगी जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं.”.

भोपाल
तारीख ५ मई, २०२०.

लाल जी टंडन
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2020

क्र. 6072-75-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
(NO. 5 OF 2020)

THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th May, 2020.]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 and the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) Ordinance, 2020. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961) and the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 and 4. Madhya Pradesh Act No. 26 of 1961 and Act No. 36 of 1983 to be temporarily amended.

PART-I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ACT, 1961 (No. 26 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), in clause (a) of sub-section (1) of Section 2, for the words "more than fifty", the words "more than hundred" shall be substituted. Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 26 of 1961.

PART-II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI ADHINIYAM, 1982
(No. 36 OF 1983)

4. In the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), after sub-section (2) of Section 28, the following sub-section shall be added, namely:— Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 36 of 1983.
- “(3) The State Government may, by notification, exempt any establishment or any category of establishments from any or all of the provisions of this Act, subject to such condition, as may be specified in the notification.”.

BHOPAL :
Dated the 5th May, 2020.

LAL JI TANDON
Governor,
Madhya Pradesh.